राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 03/2018 निगरानी

उनवान

1.श्री अमरचन्द पिता रामचन्द्र जाट
2.श्री लेहरूलाल पिता गोपी जाट
3.श्री लादूलाल पिता जगन्नाथ पारीक
4.श्री सोहन पिता हजारी पारीक
5.श्री लालाराम पिता जोधा जाट
निवासियान भावलास त0 माण्डल जिला भीलवाडा (राज0)

—— निगराकार

बनाम

1. श्री हरकूपुरी पिता केसरपुरी गुसाई निवासी भावलास त0 माण्डल
2. ग्राम पंचायत जोरावरपुरा पं0स0माण्डल जरिये सरपंच ग्राम पंचायत जोरावरपुरा त0माण्डल

——गैर निगराकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत जोरावरपुरा पत्रावली संख्या 55 आदेश दिनांक 21.10.96 व पट्टा सं0 2838 आदेश दिनांक 23.08.02 को निरस्ती बाबत।

उपस्थित :— श्री पृथ्वीराज चौधरी – वकील निगराकारान

निर्णय

दिनांक 31/10/2018

निगराकारान की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में गैर निगराकारान के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत जोरावरपुरा का उक्त तथाकथित आदेश व पट्टा नियम विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। पत्रावली संख्या 55 में आदेश दिनांक 21.10.1996 के द्वारा जो पट्टा संख्या 2838 दिनांक 23.08.2002 को जारी किया है, वह विधि विरूद्ध है। दिनांक 21.10.1996 को गैर निगराकार सं0 1 द्वारा जो आवेदन किया है उसमें जो निशानी अंकित है वह गैर निगराकार की नहीं होकर किसी अन्य की है। अंगूठा निशानी का नाम भी अंकित नहीं है। उक्त आवेदन पर अन्य इबारत अंकित कर रखी है, वह भी गलत अंकित है। ग्राम पंचायत द्वारा मौका निरीक्षण कर मौका पर्चा बनाया गया है, वह दिनांक 23.10.1997 को बनाया गया। जबकि पंचायत की मिसल में दिनांक 22.10.1996 को मौका निरीक्षण कर मौका मुआयना रिपोर्ट कर मौका पर्चा बनाया जाने हेतु आदेश कर रखा है। आगामी दिनांक 25.10.1996 को पत्रावली कोरम में पेश हुई है। इस प्रकार पत्रावली की प्रोसीडिंग अपने आपमें स्पष्ट है कि उक्त मौका मुआवयना एक साल बाद मिसल की खामियां की पूर्ति करने की गरज से फर्जी बनाया गया है। नियमानुसार आबादी भूमि के विक्रय सम्बन्धी मौका निरीक्षण किया जाता है, तो उसका हवाला पंचायत की कोरम में किया जाता है। जबकि दिनांक 23.10.1997 या अन्य किसी दिन उक्त मौका निरीक्षण का हवाला नहीं आया है।

जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

इससे स्पष्ट है कि उक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट फर्जी तरीके से तैयार की गयी है। इस कारण उक्त पट्टा निरस्त होने योग्य है। पत्रावली की प्रोसीडिंग दिनांक 25.10.1996 में तीन पंचों द्वारा भूमि का मौका मुआयना कर रिपोर्ट पेश होना बताया जबकि मौका रिपोर्ट पर केवल 2 पंचों के हस्ताक्षर है। निलामी सूचना पत्र जारी किया वह दिनांक 26.12.96 को जारी किया गया उसका इन्द्राज प्रोसिडिंग में कहीं नहीं है एवं उक्त नोटिस पर कहीं भी सचिव के हस्ताक्षर नहीं है व दिनांक 25.10.96 की प्रोसिडिंग में आगामी दिनांक व सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है इस कारण से उक्त पट्टा निरस्तनीय है। दिनांक 02.02.1997 को पत्रावली में जो निलामी सूची है, उसमें पंचायत व पंचायत समिति व जिला का नाम अंकित नहीं है एवं उक्त निलामी में गैर निगराकार सं0 1 ने भाग नहीं लिया था व न ही वह मौके पर उपस्थित था इसके बावजूद भी उक्त निलामी उच्चतम निलामी हरकपुरी के नाम बताना अपने आपमें सन्देहास्पद है इस प्रकार उक्त निलामी फर्जी बनायी गयी है इस कारण उक्त पट्टा नियमों के विपरीत जारी किया गया है। दिनांक 02.02.1997 को रविवार होकर राजकीय अवकाश है इसलिए राजकीय अवकाश के दिन कानूनन निलामी नहीं लगायी जा सकती है। ग्राम पंचायत द्वारा जो पट्टा जारी किया गया उस भूखण्ड की डीएलसी दर 10/–रू0 प्रतिवर्गफीट थी एवं पंचायत ने पट्टा 1500 वर्गफीट का जारी किया गया जिसकी डीएलसी दर अनुसार 15000/–रू0 बनती है जबकि इस भूखण्ड को ग्राम पंचायत के द्वारा गैर निगराकार सं0 1 से मिलाभगती कर 900/–रू0 में ही निलाम किया है जो अपने आप में फर्जी साबित हो रही है। ग्राम पंचायत की प्रोसिडिंग दिनांक 31.03.1997 में कहीं पर निलामी की दिनांक अंकित नहीं है। दिनांक 31.03.1997 को निलामी नोटिस जारी करने का आदेश हुआ जबकि उससे पूर्व ही दिनांक 31.01.1997 को ही निलामी की जा चुकी है । इस प्रकार उक्त पट्टा अवैध जारी किया गया जो निरस्त होने योग्य है। गैर निगराकार सं0 2 द्वारा नियम 141 अनुसार निलामी के माध्यम से विक्रय नहीं किया गया बल्कि एक ही दिन में घर पर बैठकर पत्रावली बनाकर फैसल कर दी जबकि नियम 145(3) के तहत आवेदन के साथ स्थल नक्शा संलग्न नहीं किया हो तो आवेदक नक्शा तैयार करने के लिए 25/–रू0 जमा राना अनिवार्य होता है। जबकि गैर निगराकार सं0 1 ने ऐसा कोई शुल्क भी जमा नहीं कराया । दिनांक 02.02.1997 को अन्तिम बोली लगी व दिनांक 31.03.1997 को आदेश हुआ और 5 वर्ष बाद मिलीभगती कर पट्टा जारी किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया पट्टा पंत्रावली सं0 55 दिनांक 21.10.1996 पट्टा संख्या 2838 दिनांक 23.08.2002 को निरस्त फरमाया जावे।

निगराकार के द्वारा दिनांक 26.12.2017 को निगरानी प्रस्तुत की जिसे दिनांक 02.01.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारगण को तारीख पेशी के सूचना पत्र जारी किए गए। गैर निगराकार सं0 1 व 2 बावजूद तामील के अनुपस्थित होने पर दिनांक 26.02.2018 को एक तरफा आदेश पारित किया गया।

निगरानी के साथ निगराकार के द्वारा गैर निगराकार सं0 1 के पक्ष में जारी पट्टे की प्रमाणित फोटो प्रति। ग्राम पंचायत जोरावरपुरा की सम्पूर्ण पत्रावली की फोटो

जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

प्रतियां एवं गैर निगराकार सं0 1 की अंगूठा निशानी की एफ0एस0एल0रिपोर्ट दिनांक 17 सितम्बर, 2017 एवं गैर निगराकार सं0 1 के द्वारा जरिये विक्रयपत्र दिनांक 01.04.2015 से किए गए विक्रयपत्र की प्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत की है। गैर निगराकार ग्राम पंचायत जोरावर संचिव ने अपने पत्रांक/ग्रापंआ/2017–18/एसपी–1 दिनांक 19.01.2018 से पट्टे से सम्बन्धित पत्रावली उपलब्ध कराई। तत्पश्चात वकील निगराकार की बहस सुनी गई।

बहस में वकील निगराकार के द्वारा निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि गैर निगराकार सं0 01 को गैर निगराकार सं0 02 के द्वारा सार्वजनिक उपयोग की भूमि अर्थात ग्रामवासी उक्त भूखण्ड पर बैठकर बस की इन्तजार करते थे, जो कि सड़क से लगता हुआ है। उसे विधि विरूद्ध निलाम किया है। जिसे ग्राम पंचायत जोरावरपुरा को कोई अधिकार नहीं है। वादोक्त भूखण्ड की निलामी प्रक्रिया जो की गई है वह सम्पूर्ण सन्देहास्पद होने से पंचायत का आदेश दिनांक 21.10.1996 एवं जारी पट्टा सं0 2838 दिनांक 23.08.2002 खारिज फरमाया जावे। गैर निगराकार सं0 1 के द्वारा कोई आवेदन उक्त भूखण्ड निलामी हेतु प्रस्तुत नहीं किया सम्पूर्ण अंगूठा निशानी फर्जी पाई गई है। इस सम्बन्ध में एफएसएल रिपोर्ट प्रस्तुत है। निवेदन है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया पट्टा पंत्रावली सं0 55 दिनांक 21.10.1996 पट्टा संख्या 2838 दिनांक 23.08.2002 को निरस्त फरमाया जावे।

निगराकार अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। निगराकार के द्वारा अपनी निगरानी के साथ ग्राम पंचायत जोरावरपुरा की पत्रावली संख्या 55 आदेश दिनांक 21.10. 1996 से जारी पट्टा सं0 2838 निर्णय दिनांक 23.08.2002 की प्रमाणित फोटो प्रतियां प्रस्तुत की। उक्त पत्रावली का अवलोकन किया जिसके अनुसार ग्राम पंचायत जोरावरपुरा की पत्रावली संख्या 55 में पृष्ठ संख्या 4 पर श्री हरकूपुरी पिता केसरपुरी गुसाई निवासी भावलास का आवेदन दिनांक 21.10.1996 संलग्न है। जिस पर अंगूठा निशानी अंकित है, परन्तु अंगूठा निशानी किसकी है? उस पर किसी का नाम अंकित नहीं है। ग्राम पंचायत के द्वारा उक्त आवेदन पर दिनांक 21.10.1996 को भूमि का मानचित्र पंचायत द्वारा बनाया गया। उक्त मानचित्र पत्रावली के पृष्ठ संख्या 5 पर संलग्न है, परन्तु यह मानचित्र सचिव द्वारा किस दिनांक को बनाया? इस पर सचिव के कहीं पर भी हस्ताक्षर नहीं है। न कोई दिनांक अंकित है। उक्त मानचित्र बनाए जाने की फीस 25–/रू0 भी पत्रावली में जमा होना नहीं पाया जाता है। जबकि नियमों में यह राशि जमा होना आवश्यक है। ग्राम पंचायत की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 22.10.1996 में उक्त मानचित्र का बनाए जाने का विवरण अंकित है। इस आदेशिका में ही नक्शे/मानचित्र के अनुसार मौका निरीक्षण हेतु स्वयं सरपंच व 2 वार्ड पंचों की कमेटी का गठन किया गया जबकि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 146 (2) में स्पष्ट अंकित है कि 3 वार्ड पंचों की कमेटी का गठन किया जाएगा जो कि नियम 146(3) के तहत 15 दिवस में रिपोर्ट पेश करने का विवरण अंकित है। जबकि वादोक्त प्रकरण में स्वयं सरपंच जो कि कमेटी का अध्यक्ष है वह स्वयं ही कमेटी का सदस्य कैसे हो सकता है? उक्त आदेशिका की पालना में आबादी भूमि के विक्रय सम्बन्धी मौका निरीक्षण पत्र दिनांक 23.10.1997 को स्वयं सरपंच एवं दो वार्ड पंचों के हस्ताक्षरित पत्रावली में पृष्ठ संख्या 6 पर संलग्न है। जबकि आदेशिका दिनांक 25.

जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

10.1996 में ही उक्त रिपोर्ट का विवरण अंकित है। इसी आदेशिका में वादोक्त भूमि के विक्रय हेतु एक माह का आपत्ति पत्र आमत्रित करने का विवरण अंकित है। उक्त आदेशिका की पालना में दिनांक 25.10.96 को आपत्ति आमंत्रित करने का पत्र पत्रावली में पृष्ठ सं0 7 पर संलग्न है। जो दिनांक 26.10.96 को चस्पा होकर उस पर बक्षू व नन्दा की अंगूठा निशानी अंकित है, परन्तु यह नोटिस कहां पर चस्पा किया? इसका विवरण अंकित नहीं है। इसके पश्चात दिनांक 26.12.1996 की आदेशिका अनुसार उक्त आपत्ति नोटिस जारी करने की तारीख से एक माह की अवधि में वादोक्त भूमि के विक्रय किए जाने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने से भूमि विक्रय किए जाने का विवरण अंकित है और एक माह का निलामी नोटिस जारी करने का विवरण भी अंकित है, परन्तु उक्त आदेशिका पर सरपंच के कोई हस्ताक्षर नहीं है। उक्त आदेशिका की पालना में निलामी सूचना पत्र दिनांक 26.12.1996 को जारी किया जो पत्रावली में पृष्ठ संख्या 8 पर संलग्न है। जिस पर उदयलाल के हस्ताक्षर है, परन्तु इस पर कोई पंचायत की मुहर अंकित नहीं है तथा किस दिनांक को? किस स्थान पर ? एवं कितने बजे निलामी की जाएगी ? इस निलामी सूचना पत्र मे उल्लेख नहीं है एवं इसके पुस्त पर दिनांक 27.12.96 को चस्पा किया गया। जिस पर बक्षु व नन्दा की अंगूठा निशानियां अंकित है, परन्तु यह निलामी सूचना पत्र कहां पर चस्पा किया? इसका कोई उल्लेख नहीं है। जबकि **नियम 150(2) में स्पष्ट दिया है, कि ऐसी निलामी का और उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट तारीख, समय और स्थान का एक नोटिस डॉडी पिटवा कर/किसी भी अन्य ध्वनि–प्रवर्धक युक्ति द्वारा उद्घोषित किया जायेगा और निलाम के नोटिस की एक प्रति स्थल के समीप तथा गांव के बाजार में सहजदृश्य स्थानों पर और पंचायत के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी**। इस प्रकार तीन प्रतियों में उक्त नोटिस जारी होना चाहिए परन्तु उक्त पत्रावली में ऐसा सिद्ध नहीं हो रहा है। पत्रावली में दिनांक 31.03.1997 की पारित आदेशिका में स्पष्ट उल्लेखित है कि श्री हरकूपुरी के आवेदन पर नियम 257 के तहत भूमि का नक्शा पंचायत द्वारा नियमानुसार बनाया एवं नियम 258 के तहत तीन वार्ड पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किए जाने का उल्लेख है। जबकि इसी पत्रावली में आदेशिका दिनांक 22.10.1996 में स्वयं सरपंच व 2 वार्ड पंचों का उल्लेख है। इस प्रकार मौका निरीक्षण सम्बन्धी तथ्य विरोधाभाषी सिद्ध हो रहे हैं। आदेशिका दिनांक 31.03.1997 में लिखा है कि सामान्य नियम 262 के तहत भूमि की निलामी के लिए एक माह का निलामी नोटिस जारी किया जावे। बाद आपत्ति श्री सरपंच मय पंचों की शामलात से नियमानुसार दिनांक 02.02.1997 से 31.03.1997 तक निलामी की तो उसमें आखिरी उच्चतम बोली श्री हरकूपुरी पिता केसरपुरी गुसाई निवासी भावलास की 900/–रू0 रही। अतः प्रार्थी को पट्टा देना उचित है। जबकि पत्रावली में पृष्ठ सं0 9 पर संलग्न निलाम की सूची दिनांक 01.02.1997 में क्रम संख्या 02 पर श्री हरकूपुरी पि0 केसरपुरी गुसाई भावलास का नाम अंकित होकर राशि 300/–रू0 अंकित है, परन्तु अन्य निलामीकर्ताओं के हस्ताक्षर एवं निशानी अंकित है, परन्तु हरकुपूरी की कोई अंगूठा निशानी अंकित नहीं है इसी प्रकारं पृष्ठ सं0 10 में संलग्न निलाम की सूची में अन्तिम नाम श्री हरकूपुरी पिता केसरपुरी गोस्वामी भावलास दर्ज होकर इसके नाम के सामने 900/–रू0 की राशि अंकित है, परन्तु उक्त निलामी में भाग लेने हेतु उसकी कोई अंगूठा निशानी अंकित नहीं है । इस

जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

सूची पर अन्त में सरपंच के स्वीकृति के कोई हस्ताक्षर नहीं है। न ही किसी वार्ड पंच के हस्ताक्षर है। ऐसी स्थिति में समस्त निलामी प्रक्रिया ही अवैधानिक है। फिर भी ग्राम पंचायत जोरावरपुरा के द्वारा दिनांक 31.03.1997 को गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में पट्टा जारी करने की स्वीकृति दी गई, जो अवैध होकर नियमों के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। फिर भी गैर निगराकार संख्या 01 के द्वारा उक्त वादोक्त भूखण्ड को जरिये पंजीयन विक्रयपत्र दिनांक 01.04.2015 से श्री रतन गिरी पिता शंकर गिरी गुसाई निवासी भावलास तहसील माण्डल को हस्तान्तरित किए जाने पर विक्रेता श्री हरकूपुरी पिता केसरपुरी गुसाई के अंगूठा निशानी की जांच कराई जाने पर श्री हरकूपुरी की अंगूठा निशानी फर्जी होने की एफएसएल रिपोर्ट दिनांक 17 सितम्बर, 2017 भी प्रस्तुत की है। इस प्रकार ग्राम पंचायत जोरावरपुरा के द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 श्री हरकूपुरी पिता केसरपुरी गुसाई निवासी भावलास के पक्ष में पत्रावली संख्या 55 दिनांक 21.10.1996 से जारी पट्टा संख्या 2838 दिनांक 23.08.2002 अवैध होने से खारिज होने योग्य प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती है। अतएव–

आदेश

निगराकार की निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 स्वीकार करते हुए ग्राम पंचायत जोरावरपुरा के द्वारा अपनी पत्रावली संख्या संख्या 55 दिनांक 21.10.1996 से गैर निगराकार श्री हरकूपुरी पिता केसरपुरी गुसाई निवासी भावलास पंचायत समिति माण्डल तहसील माण्डल के नाम पर जारी पट्टा संख्या 2838 दिनांक 23.08.2002 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड ग्राम पंचायत जोरावरपुरा को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 31 .10.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर, भीलवाड़ा